

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर 2018—भाद्र 28, शक 1940

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2018

क्र. एफ-18-02-2018-सत्रह-मेडि-1.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (क्रमांक 23 सन् 1940) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के चौथे अध्याय के प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है:—

अनुक्रमांक (1)	औषधि निरीक्षक (2)
1.	श्री स्वप्निल सिंह
2.	श्री शोभित कुमार तिवारी
3.	श्रीमती महिमा जैन
4.	कु. प्रियंका कुमारी चौबे
5.	डॉ. आकांक्षा गरुड़
6.	कु. अनुभूति शर्मा
7.	श्रीमती सोनाक्षी चौहान
8.	श्री मंजीत जामले
9.	श्रीमती मनीषा गुर्जर
10.	श्री रामलखन पटेल

No. F. 18-02-2018-XVII-Med-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints the following Drugs Inspectors as Inspectors for the whole State of Madhya Pradesh for the Chapter IV of the said Act:—

S. No. (1)	Name of Drugs Inspector (2)
1.	Shri Swapnil Singh
2.	Shri Shobhit Kumar Tiwari
3.	Smt. Mahima Jain
4.	Ku. Priyanka Kumari Choubey
5.	Dr. Akanksha Garud
6.	Ku. Anubhuti Sharma
7.	Smt. Sonakshi Chauhan
8.	Shri Manjeet Jamle
9.	Smt. Manisha Gurjar
10.	Shri Ramlakhan Patel

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.